दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
सि.वि. सं. 6761/2009 एवं रि.या.(सि.) सं. 9142/2009
निर्णय की तिथि : 10 जुलाई, 2009

सुभाष चंद .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मोहित चड्ढा, अधिवक्ता

बनाम

मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री रावी बीरबल, अधिवक्ता

कोरमः माननीय न्यायाधीश श्री एस.एन. अग्रवाल

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? **हाँ।**

2. रिपोर्टर को प्रेषित किया जाना है या नहीं? **हाँ।**

3. क्या निर्णय को डायजेस्ट में रिपोर्ट किया जाना चाहिए? **हाँ।**

न्या. एस.एन. अग्रवाल, (मौखिक)

रि.या.(सि.) सं. 9142/2009 में सि.वि. सं. 6761/2009 (छूट हेतु)

सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन प्रार्थित छूट प्रदान की जाती है।

रि.या.(सि.) सं. 9142/2009

कर्मचारी (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर यह रिट याचिका सुश्री निशा सक्सेना, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय VI, फास्ट ट्रैक, दिल्ली द्वारा पारित एक अधिनिर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसमें बहाली एवं बकाया वेतन पर उनके दावे को खारिज किया गया है।

2. याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी यानी मैसर्स मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड की सेवा से दिनांक 07.08.1998 से प्रभावी अपने निष्कासन पर आरोप लगाता है।

उसने अपनी कथित बर्खास्तगी के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाया था जिसे समुचित सरकार द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु श्रम न्यायालय प्रेषित किया गया था। श्रम न्यायालय अपने समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता की बहाली की गारंटी देने वाले पक्षकारों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था क्योंकि वह प्रत्यर्थी के समूह परियोजना प्रबंधक, श्री कृष्ण खन्ना के निजी चालक के रूप में कार्यरत था, जिन्होंने उसी दिन प्रत्यर्थी कंपनी की सेवा से इस्तीफा दे दिया था, यानी दिनांक 07.08.2008 को जब याचिकाकर्ता की सेवाओं को कथित रूप से समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी के समूह परियोजना प्रबंधक, श्री कृष्ण खन्ना को आवंटित कार चलाने के लिए एक चालक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कंपनी के नियमों के तहत 3500/- रुपए प्रति माह के व्यक्तिगत भत्ते का हकदार था। विचारण न्यायालय के आक्षेपित अधिनिर्णय में निहित ठोस कारणों के लिए इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि वह प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियोजित था। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित अधिनिर्णय में आगे उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी कंपनी के मध्य संविदात्मक संबंध नहीं थे।

3. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत स्पष्ट रूप से ***पंजाब नेशनल बैंक बनाम गुलाम दस्तगीर एआईआर 1978 एससी 481 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय*** के निर्णय के दायरे में आती है। दस्तगीर (पूर्वोक्त) के मामले के अतिरिक्त, बैंक के क्षेत्र प्रबंधक के लिए नियुक्त चालक का दावा उसकी बहाली के लिए अरक्षणीय पाया गया क्योंकि चालक को बैंक द्वारा नहीं बल्कि क्षेत्र प्रबंधक द्वारा बैंक पर लागू नियमों के संदर्भ में नियुक्त किया गया था। इस मामले में भी, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी के समूह परियोजना प्रबंधक की कार चलाने के लिए लगाया गया था, न कि प्रत्यर्थी द्वारा।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे आक्षेपित अधिनिर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण विवेकाधीन रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा

हस्तक्षेप की मांग करती हो। इसलिए इस रिट याचिका को आरम्भ में ही खारिज किया जाता है।

न्या. एस. एन. अग्रवाल

10 जुलाई, 2009

'एम.ए'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*